

पत्रांक-15/आई1-76/2013-
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक,

एजाज शोएब हाशमी,
लोक सूचना पदाधिकारी
-सह-
उप निदेशक(उच्च शिक्षा) ।

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
बाबा भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा ।

पटना, दिनांक

विषय:-वाद सं0-81105/12-13 श्री शैलेन्द्र सिंह तरकर द्वारा सूचना का अधिकार के तहत
मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग-पत्रांक-1963 दिनांक31-10-13, पत्रांक-66 दिनांक 08-01-2014 एवं पत्रांक-663
दिनांक 25-03-2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र का स्मरण करना चाहेंगे। प्रसंगाधीन पत्र के
द्वारा विभागीय पत्रांक-15/एम1-300/08-1830 दिनांक 15-09-2009 द्वारा
आर-2/एन0आर0 श्रेणी के कर्मियों को हटाने के संबंध में निदेश दिया गया था से संबंधित
आवेदक द्वारा इस आशय की सूचना की माँग की गई है कि इस पत्र के अलोक में
विश्वविद्यालय के स्तर से क्या कार्रवाई की गई है।

अंकनीय है कि वाद संख्या-81105/12-13 श्री शैलेन्द्र सिंह तरकर के संबंध
में राज्य सूचना आयोग में दिनांक 21-08-13 को सुनवाई में पारित आदेश आयोग के
पत्रांक-5426/रा0सू0आ0 दिनांक 26-8-13 द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसके आलोक में विभागीय
पत्रांक-15/एम1-300/08-1830 दिनांक 15-09-2009 के आलोक में विश्वविद्यालय स्तर से
अबतक क्या कार्रवाई की गई है।

अतः अनुरोध है कि उरोक्त वांछित प्रतिवेदन प्राथमिकता के आधार पर तीन दिनों
के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक एवं राज्य
सूचना आयोग को समेकित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा सके।


विश्वासभाजन

ह0/-

(एजाज शोएब हाशमी)
लोक सूचना पदाधिकारी
-सह-
उप निदेशक(उच्च शिक्षा) ।

ज्ञापांक-15/आई1-76/2013-838पटना, दिनांक 29/4/14

प्रतिलिपि:-कुल सचिव, सभी संबंधित विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
उनसे अनुरोध है कि विषयांकित मामले से संबंधित प्रतिवेदन निर्धारित समय-सीमा के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।


(एजाज शोएब हाशमी)
लोक सूचना पदाधिकारी
-सह-
उप निदेशक(उच्च शिक्षा) ।